अत्यावश्यक
पंचायत उप निर्वाचन–2025

राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

संख्या– प0नि0–30–43 / 2025 2674

प्रेषक,

मुकेश कुमार सिन्हा भा.प्र.से.
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)
–सह–जिला पदाधिकारी, बिहार।

पटना, दिनांक– 12.6.25

विषय :– **पंचायत उप निर्वाचन, 2025; विधि व्यवस्था संबंधी दैनिक प्रतिवेदन की प्रविष्टि आयोग के पोर्टल पर करने के संबंध में।**

प्रसंगः– **आयोग का पत्रांक–2606, दिनांक–09.06.2025 एवं पत्रांक–2664, दिनांक–12.06.2025**

महाशय,

उपर्युक्त विषय आयोग के पत्रांक–2606, दिनांक–09.06.2025 द्वारा पंचायत उप निर्वाचन 2025 संपन्न कराये जाने के निमित्त विस्तृत कार्यक्रम प्रेषित किया जा चुका है तथा पत्र की कंडिका–02 में अंकित है कि निर्वाचन कराये जाने वाले सभी संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गए हैं। आयोग के पत्रांक–2664, दिनांक–12.06.2025 द्वारा आदर्श आचार संहिता का अनुपालन एवं विधि–व्यवस्था संधारण संबंधी विस्तृत निदेश निर्गत किये गए हैं। उक्त क्रम में विधि व्यवस्था अनुपालन से संबंधित दैनिक प्रतिवेदन की प्रविष्टि आयोग के वेबसाईट पर प्रतिदिन नियमित रूप किया जाना है।

अतएव निदेशानुसार अनुरोध है कि पंचायत उप निर्वाचन, 2025 के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण से संबंधित दैनिक प्रतिवेदन की प्रविष्टि आयोग के पोर्टल पर नियमित रूप से किये जाने हेतु संबंधित पदाधिकारी को अपने स्तर से निदेशित करने की कृपा की जाए ताकि दैनिक प्रतिवेदन आयुक्त महोदय के समक्ष अवलोकन हेतु प्रतिदिन उपस्थापित किया जा सके।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

विश्वासभाजन
12.6.25
सचिव।

ज्ञाप संख्या– 2674 पटना, दिनांक 12.6.25

प्रतिलिपि– सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि सभी संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी को उक्त प्रतिवेदन की प्रविष्टि प्रतिदिन ससमय आयोग के पोर्टल पर करने हेतु अपने स्तर से निदेशित करने की कृपा की जाए।

12.6.25
सचिव।

E:\dhiru\S.K.S\Nagar\दैनिक प्रतिवेदन.docx